न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

ठासीन अधिकारी :– सौरभ स्वामी आई.ए.एस.

जस्व वाद संख्या :– 098/2017

1. बलवन्तराम पुत्र श्री रामप्रताप जाति कुम्हार निवासी चक 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर। – – वादी

–:: बनाम ::–

1. साहबराम
2. अमीचन्द
3. भोमाराम
4. रघुवीर
5. कमला देवी
6. इमरती देवी
7. सुगनी देवी

पुत्र/पुत्री श्री रामप्रताप जाति कुम्हार निवासी 1 चक 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

8. बेअन्तसिंह पुत्र बलदेवसिंह जाति जटसिख निवासी चक 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. विजय कुमार पुत्र गुरबक्शसिंह
10. इन्दुबाला पत्नि विजय कुमार

जाति अरोड़ा निवासी श्रीगंगानगर।

11. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर । – – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92ए आर.टी.ए. बाबत घोषणा, एवम् स्थाई निषेधाज्ञा

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री राजेश ग्रेवाल अधिवक्ता वादी

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 23.01.2019

वादी ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 92 ए आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के पिता स्व. रामप्रताप के नाम से चक 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 54/47 मुरब्बा नम्बर 9, 10, 37 में भूमि थी तथा उनके देहान्त के बाद वादी का 1/6 हिस्सा बनता था मगर उसको हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ, जबकि उसका कब्जा पिता के जीवनकाल से ही चक 1 जैड के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 6, 15 में बनी ढ़ाणी के भाग पर तथा साथ लगती भूमि कुल करीब 0–15 बीघा पर चला आया ढ़ाणी के सम्बंध में पिता नें अपनें जीवनकाल में वसीयत दिनांक 24.02.1988 को भी तथा पिता का देहान्त दिनांक 28.09.1995 को होनें के बाद से ढ़ाणी तथा उसके साथ लगती जगह पर वादी का कब्जा जो चला आ रहा है में वह ढ़ाणी का तो पूरी तरह मालिक हो चुका है तथा साथ लगती जगह पर उसका कब्जा निरन्तर 30 साल से चला आ रहा होनें से व उसका खातेदार कास्तकार हकदार बन चुका है ढ़ाणी का शेष भाग जो कि प्रतिवादी का था हटा लिया गया हुआ है। तथा अकेले वादी की ही ढ़ाणी ही मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 6, 15 की 0–15 बीघा भूमि पर वादी का कब्जा निरन्तर चला आ रहा है। जो कि 30 साल से अधिक समय से है।

लगातार 2

राजस्व रिकार्ड में चक 1 जैड तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 54/47 मुरब्बा म्बर 9 के 2.100 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 10 के 2.101 हैक्टर व मुरब्बा नम्बर 37 के 1.771 क्टर कुल तादादी 5.972 हैक्टर प्रति 1 ता 10 के नाम से खातेदारी दर्ज है, जमाबन्दी की कल शामिल है, मगर इस रकबा में से मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 6, 15 में 0–15 घा बीघा रकबा जिसमें ढ़ाणी भी बनी हुई है, तथा ढ़ाणी के साथ लगता वादी कास्त करता ा रहा है। पर वादी का कब्जा पिता के जीवनकाल से ही उसकी देखा देखी जानकारी व उसके बाद प्रतवादीगण 1 ता 10 की देखादेखी जानकारी से वादी का निरन्तर चला आ रहा है। अतः वह प्रतिकुल कब्जा के आधार पर खातेदारी कास्तकार व हकदार बन चुका है। ालिक बन चुका है।

पिता के देहान्त के बाद उक्त भूमि में से भी पिता का जायज वारिस होनें से हक बनता है मगर प्रतिवादी नें अपनें नाम से जमीन दर्ज करवा ली तथा बाद में कुछ का बेचान कर दिया अतः प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 के नाम से समस्त भूमि उक्त खाता की मुश्तर्का खाता से चली आ रही है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मन में गलत लालच आ जानें से पहले तो उन्होनें ढ़ाणी में जानें वाले रास्ता में रूकावट पैदा करनें की कोशिश की इस पर वादी नें सिविल कोर्ट में एक दावा अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क.ख.) संख्या 1 श्रीगंगानगर में अनवानी बलवन्तराम बनाम अमीलाल आदि मुकद्मा नम्बर 68/04 पेश किया जिसका निर्णय दिनांक 30.08.2005 को किया जाकर दावा का डिक्री किया गया तथा यह निर्णय पारित किया गया कि प्रतिवादी इमीलाल, साहबराम वादी की ढ़ाणी में जानें वाले रास्ता में किसी प्रकार की बाधा पैदा ना करें निर्णय की नकल शामिल हाजा है। मगर अब प्रतिवादीगण के मन में गलत लालच आ गया है तथा वह वादी को उसके पुरानें कब्जा की भूमि चक 1 जैड के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 6, 15 की कुल 0.15 बीघा जिसमें उक्त ढ़ाणी भी बनी हुई है से वादी को जबरन व खिलाफ कानुन बेदखल करनें की कोशिश में है, गत सप्ताह भी दो बार कोशिश की मगर वह सफल नहीं हो सके अतः वादी के लिये उक्त रकबा को अपना खातेदारी घोषित करवाना व डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा जारी करावाना जरूरी हो गया है। जिससे कि उसके नाम से राजस्व रिकार्ड में उक्त रकबा दर्ज हो सके तथा उसको किसी प्रकार से बेदखल ना किया जा सके।

वादी का कब्जा चक 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 54/47 मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 6, 15 की कुल 0–15 बीघा जिसमें ढ़ाणी बनी हुई है व साथ लगती जगह वह कास्त व उपयोग करता आ रहा है। पर प्रतिकुल कब्जा होनें से वादी खातेदार कास्तकार हकदार बन चुका है। प्रतिवादी नें ना तो वादी के कब्जा कास्त से उक्त रकबा को 12 साल से अधिक समय में कभी कास्त किया ना मामला लगान अदा किया ना ही वादी को बेदखल करनें की कार्यवाही की ना कभी दावा किया गया। अतः दावा लानें की मियाद भी समाप्त हो चुकि है तथा वादी हर प्रकार से प्रतिकुल कब्जा के आधार पर खातेदार काश्तकार मालिक बन चुका है। ढ़ाणी के बाबत वसीयत भी पिता नें वादी के हक में की हुई होनें से भी वह इसका हकदार है। अतः उक्त रकबा को राजस्व रिकार्ड में वादी अपनें नाम से खातेदारी दर्ज करवानें का अधिकारी है तथा प्रतिवादी का नाम हटाया जाकर उनके स्थान पर उक्त रकबा की हद तक ढ़ाणी वादी का नाम दर्ज करवाया जाना जरूरी है।

लगातार

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

वादी नें प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 से बार बार कहा कि वह उक्त रकबा खाता संख्या 54/47 मुरब्बा नम्बर 10 किला नम्बर 6–15 के 0.15 बीघा जिसमें ढ़ाणी भी बनी हुई है का वादी को प्रतिकुल कब्जा व ढ़ाणी को वसीयत पिता के आधार पर वादी को खातेदार काश्तकार हकदार मालिक मान कर कागजातराज में उसके नाम से दर्ज करवाये क्योंकि धारा 63(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से प्रतिवादी के खातेदारी अधिकार स्वतः समाप्त होकर वादी में निहीत हो गये है। अतः रकबा में उनका नाम हटवाकर वादी का नाम दर्ज करवाये तथा वादी के शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा डालनें जबरन खिलाफ कानुनन बेदखल करनें व किसी को मुन्तकिल करनें से बाज व ममनू रहे मगर वह टाल मटोल करते हुए दिनांक 18.01.2009 को साफ इन्कारी है यही बिनाय मुखास्मत है तथा दावा लाना जरूरी हो गया है।

प्रतिवादी संख्या 11 लैण्ड होल्डर होनें से जरूरी पक्षकार है, अतः उनको पक्षकार बनाया गया है कागजात राज में वादी के नाम से दर्ज करनें के लिये भी प्रतिवादी संख्या 11 जरूरी पक्षकार है।

अतः वाद वादी पेश कर अर्ज है, कि दावा दावा बहक वादी खिलफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री सादिर किया जावे :–

(क) डिक्री अधिकारों की घोषणा की सादिर की जाकर चक 1 जैड तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 54/47 मुरब्बा नम्बर 10 किला नम्बर 6, 15 की 0–15 बीघा भूमि जिसमें ढ़ाणी बनी हुई है, का वादी को प्रतिकुल व ढ़ाणी की पिता की वसीयत के आधार पर खाातेदार कास्तकार हकदार घोषित किया जाकर जमाबन्दी में प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 का नाम उक्त रकबा व ढ़ाणी की हद तक यानि 0–15 बीघा की हद तक हटाया जाकर वादी के नाम से दर्ज करनें के आदेश दिया जावे।

(ख) डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जावे कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 वादी के उक्त कब्जा कास्त की भूमि ढ़ाणी के उसके शान्ति पूर्वक कब्जा कास्त व पानी बारी उपयोग उपभोग में मदाखलत करनें वादी को जबरन खिलाफ कानुनन बेदखल करनें किसी को मुन्तकिल करनें से बाज व ममनु रहे।

(ग) खर्चा मुकद्मा वादी को प्रतिवादी से दिलाया जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो कि वादी के हित में हो दिया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 को विधिवत उपरान्त उपस्थित नहीं आनें पर उनके विरूद्ध दिनांक 08.03.2018 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, प्रतिवादी संख्या 1, 3, 4, 7 ता 10 की तलबी विधिवत नहीं होनें से जरिये समाचार पत्र तलबी करवाई गई परन्तु उपस्थित नहीं आनें पर उनके विरूद्ध दिनांक 08.10.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई प्रतिवादी संख्या 2 की और से पूर्व में श्री बलराम स्वामी अधिवक्ता उपस्थित थें परन्तु बाद में उपस्थित नहीं आनें पर उसके विरूद्ध दिनांक 09.01.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी संख्या 11 पैरोकार राज द्वा जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि राज्य हीतको मध्य नजर रखते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित होगा।

लगातार 4

उपखण्ड अधिकारी (राज.)
श्रीगंगानगर

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने सें पत्रावली में तनकीयात बनना नहीं पाये जानें पर वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत वादपत्र के बिन्दुओं को ही दोहराया जाकर दस्तावेजात प्रदर्श करवाये गसे।

प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होनें के कारण वादी के सुयोग्य अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई दौरानें बहस वादी के अधिक्ता द्वारा अपनें वाद पत्र को दोहराते हुए कथन किया कि चक 1 जैड के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 6, 15 में बनी ढ़ाणी के भाग पर तथा साथ लगती भूमि कुल करीब 0–15 बीघा भूमि पर वादी का कब्जा चला आ रहा है। ढ़ाणी के सम्बंध में पिता नें अपनें जीवनकाल में वसीयत दिनांक 24.02.1988 करवाई तथा पिता का देहान्त दिनांक 28.09.1995 को होनें के बाद से ढ़ाणी तथा उसके साथ लगती जगह पर वादी का कब्जा जो चला आ रहा है अतः उक्त भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे।

वादी के सुयोग्य अधिवक्ता की बहस सुनने के उपरान्त सम्बंधित पटवारी हल्का से विवादित आराजी के सम्बंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट के संलग्न दैनिक डायरी का अवलोकन किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि चक 1 जैड के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 6, 15 में 50X80 फुट रकबा पर एक भुखण्ड है जिसमें वर्तमान में दो बिना दरवाजे के कमरे बनें हुए है एक बिना छत का छपरा है इस भुखण्ड तक जानें हेतु मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 6 व 7 में रास्ता उपलब्ध है इस भुखण्ड में पूर्व में बलवन्तराम पुत्र रामप्रताप निवास करना बताया गया वर्तमान में भूखण्ड की खाली जगह में साहबराम पुत्र रामप्रताप द्वारा पशुओं की खाद तथा जलाऊ लकड़ी रखी हुई है, अन्दर के कमरों में अमीलाल पुत्र रामप्रताप द्वारा पशुओं का सुखा चारा (तुड़ी) रखी हुई है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वादी बलबन्तराम के पिता द्वारा करवाई गई वसीयत का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि वसीयत अनुसार चक 1 जैड की ढ़ाणी के रिहायशी मकान का 1/6 हिस्सा की वसीयत बलवन्त राम के नाम से की गई है। जबकि वादी द्वारा अपनें वाद पत्र में वसीयत के आधार पर पूरी ढ़ाणी की भूमि का खातेदार घोषित किये जानें का निवेदन किया गया है।

वादी के सुयोग्य अधिवक्ता की बहस पपर मनन करनें पत्रावली का अवलोकन करनें तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 23.01.2019 का अवलोकन किये जानें पर वाद वादी पोषणीय नहीं पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

अतः वादी द्वारा अपनें पिता से करवाई गई वसीयत के आधार पर 1/6 हिस्सा से अधिक भूमि का अनुतोष चाहे जानें तथा वसीयत के समय मौजूद गवाह सहीराम पुत्र हूलाराम जाति कुम्हार निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी तथा भागीरथ पुत्र भगवानाराम जाति कुम्हार निवासी 1 जैड़ तहसील श्रीगंगानगर के भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जानें एवम् सम्बंधित पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर वादी विवादीत आराजी (ढ़ाणी) पर मौका में काबिज भी नहीं होने के कारण वाद वादी वर्तमान स्तर पर पोषणीय नहीं होनें से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें निर्णय आज दिनांक 23.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर